

राजस्थान सरकार

## अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

### जामडोली केम्बे के सामने आगरा रोड जयपुर

क्रमांक

दिनांक

#### ई निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों की निम्न सेवा के लिये ई निविदा आमंत्रित की जाती है।

| क्र. सं. | NIT सं.        | सेवा का विवरण  | अवधि        | अनुमंदित लागत | अमानत राशि | ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउन लोड व जमा/अपलोड करने की अन्तिम दिनांक    | ऑनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक         | निविदा प्रपत्र शुल्क |
|----------|----------------|--|-------------|---------------|------------|---|--|----------------------|
| 1        | 7 / 2017<br>18 | लगभग 200 मानसिक विमंदित आवासियों की 24 घण्टे दैखभाल हेतु जॉब बैंकिंग पर केयर टेकिंग का कार्य | 12 माह लगभग | 7000000/-     | 140000/-   | 20.02.2017 को 3.00 PM तक डाउन लोड एवं 4.00 PM तक अपलोड करने की लिंक | दिनांक 21.02.2017 को 11.00 AM पर खोली जायेगी | 400/-                |

निविदा संबंधित पूर्ण विवरण वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> व राज्य उपापन पोर्टल [SPPP.rajasthan.gov.in](http://SPPP.rajasthan.gov.in) तथा विभागीय वेबसाईट [sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in), पर देखा जा सकता है।

अधीक्षक

मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह  
जामडोली जयपुर

दिनांक 16.02.2017

क्रमांक 16.02.2017

प्रतिलिपि:-

- श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राष्ट्रीय स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र व राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिसका परिचालन 50,000 प्रतियां या उससे अधिक हो एवं एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित कराने का श्रम करें।
- श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन जयपुर।
- श्रीमान् उपनिदेशक, जयपुर (शहर), जयपुर।
- प्रबंधक आर.आई.एस.एल. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर निविदा प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
- ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट [sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in), अपलोड करवाने का श्रम करें।
- प्रोग्राम निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर एवं [SPPP.rajasthan.gov.in](http://SPPP.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
- नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु कार्यालय SJE/SAP
- कार्यालय नोटिस बोर्ड

अधीक्षक

मानसिक विमंदित बाल कल्याण पुनर्वास गृह  
जामडोली जयपुर

## परिशिष्ट-अ

### कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली, जयपुर

#### तकनीकी बिड़(स्टेज-।)

1. विषय: जॉब बेसिस पर विमंदित बालकों एवं महिलाओं की देखभाल का कार्य करने के लिये केयर टेकर उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र।
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता.....
3. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं गोबाइल नम्बर .....
4. निविदा दाता का ईमेल एड्रेस:- .....
5. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक— 07/2017-18 दिनांक
6. हम अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 07/2017-18 दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हरताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाह्य होना स्वीकार करते है।

#### संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण:-

| क्र.सं | प्रमाण पत्र का प्रकार  | डॉ.या. नहीं | जारी होने की तिथि / वैद्यता | अवधि / चैक का विवरण |
|--------|--|-------------|-----------------------------|---------------------|
| 1      | ई-टेप्लर के साथ निविदा प्रपत्र <sup>1</sup><br>शुल्क राशि रु. 400/- जगा<br>कराने का पोर्टल आर्डर नं.<br>/डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/ वैकर<br>चैक नम्बर.....दिनांक.....राशि<br>रूपये.....प्ररतुत किये जाने<br>का विवरण |             |                             |                     |
| 2      | ई-टेप्लरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रु.<br>1000/- जगा कराने का पोर्टल<br>आर्डर नं. /डिमाण्ड ड्राफ्ट<br>नम्बर/ वैकर चैक नम्बर.....दिनांक.....<br>राशि रूपये.....प्ररतुत किये<br>जाने का विवरण                        |             |                             |                     |
| 3      | सूचना में अकित अमानत राशि राशि<br>रु. 140000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट<br>नम्बर/ वैकर चैक नम्बर.....दिनांक.....<br>राशि रूपये..... का विवरण   |             |                             |                     |
| 4      | कार्य अनुभव प्रमाण पत्र  |             |                             |                     |
| 5      | वित्तीय क्षमता संवेदित दस्तावेज  |             |                             |                     |
| 6      | श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र   |             |                             |                     |
| 7      | सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र  |             |                             |                     |
| 8      | पेन कार्ड (आय कर)  |             |                             |                     |
| 9      | परिशिष्ट-द"घोषणा पत्र  |             |                             |                     |

- |     |   |
|-----|---|
| 10. | पी एफ पंजीयन प्रमाण पत्र  |
| 11. | ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र   |
| 8.  | हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं:-<br>1 .....<br>2 .....<br>3 .....   |
| 9.  | हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।  |
| 10. | निविदा शुल्क, ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक गूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह में जमा होने की स्थिति में ही ई-निविदा खोली जावेगी। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें तथा उक्त डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक की स्केन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड करें। |

### हस्ताक्षर निविदादाता।

गोट:- 1.उपरोक्त सारणी में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं अथवा नहीं उसके आगे हॉ या नहीं उसके जारी होने की सिथि/वैद्यता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

#### 2. निविदा भरने की प्रक्रिया:-

- (ए) परिशिष्ट “अ” तकनीकी बिड है तकनीकी बिड के साथ समर्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट “अ” “स” “एवं “द” प्रत्येक पृष्ठ डिजिटल हस्ताक्षर शुदा अपलोड करें।
- (बी) परिशिष्ट “ब” प्राईस बिड है तकनीकी निविदा में पाये गये योग्य निविदादाताओं की ही प्राईज बिड खोली जायेगी।
- (स) तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक पृथक फोल्डर बना कर अपलोड की जावें।

**कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह  
विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली, जयपुर**

**निविदा प्रपत्र —प्राईस बिड(स्टेज-II)**

1. विषय: जॉब बेसिस पर विमंदित बालको एवं महिलाओं की देखभाल का कार्य करने के लिये केयर टेकर उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र।
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता.....
3. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर .....
4. निविदा दाता का ईमेल एड्रेस:— .....
5. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक— 07/2017-18 दिनांक
6. आवासीयों के देखभाल के कार्य बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है:—

|   |   |
|---|---|
| नामों का विवरण  | जौही भारत के प्रति केमर निकर विद्य समर्पण एवं ESL PLENTY TAX एवं अनुबंधिक प्रशस्ति का विवरण सहित) |
| 2   |   |
| जगमग 200(40) प्रोफाउण्ड तथा 160 अन्य श्रणि  | प्रदूष क्रिया का स्तर(प्रतिमाह  |
| (इ) मानसिक विमंदित आवासीयों को 24 घन्टे (प्रार्थना के दौरान पारियों में) देखभाल हेतु जॉब बेसिस पर केयर टेकिंग का कार्य करता है। | प्रदूष क्रिया का स्तर(प्रतिमाह  |
| 3   |   |
| अन्य अनुबंधिक प्रभार  |   |
| कुल राशि रुपये  |   |
| अकों में  |   |
| शब्दों में  |   |

7(i) दरे शब्दों एवं अंकों में दोनों रूप में स्पष्ट लिखी जावें दरों में कोई बृति एवं ऑवर राईटिंग नहीं होवे।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे :—टैक्स पेड़, कर सहित, एज एपलिकेवल का प्रयोग नहीं किया जावें।

(iii) दर एवं टैक्स का अलग अलग उल्लेख किया जावें।

(iv) दरें ई—टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट BOQ में ही दी जावें।

8. निविदा भरने की प्रक्रिया :— (ए) परिशिष्ट “अ” तकनीकी बिड है तकनीकी बिड के साथ समर्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट “अ” “स” एवं “द” प्रत्येक पृष्ठ डिजीटल हस्ताक्षर शुदा प्रस्तुत करें।

(बी) परिशिष्ट “ब” प्राईस बिड है तकनीकी बिड के योग्य निविदादाताओं की ही प्राईज बिड खोली जायेगी।

(सी) प्राईस बिड को भरने हेतु परिशिष्ट “अ” “ब” “स” एवं “द” की शर्तों को ध्यान में रखे। किसी भी शर्त की अवहेलना पर निविदा निररत कर दी जायेगी।

(टी) प्राईस बिड में दोनों दरों की जांच करके दरों की अवहेलना पर निविदा निररत कर दी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर

## परिशिष्ठ—“स”

**खुली निविदा लिए निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें**

- टिप्पणी:- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अँन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में बेवसाइड पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूप से पालना करनी चाहिये ।
1. निविदा भरने की प्रक्रिया :- परिशिष्ठ—“अ एवं ब” तथा निविदा की विस्तृत शर्तों के अनुसार भरी जावे ।
  2. निविदा हेतु योग्यता:- निविदा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, या संस्था द्वारा भरी जा सकती है। फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समरत शर्तों को मानने के लिये वाद्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकारानामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति रसीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या वाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को वाद्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्नुकृत होगी ।
  3. फर्मों को किसी राजकीय संस्था में वालक, वालिकाओं, व्यक्तियों के हैंड्रे में केयर टेकर/अटेन्डेंट आपूर्ति करने का कग से कग एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य है। (प्रमाणित प्रतियां) उस के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। केवल कार्यादेश मान्य नहीं होगें ।
  4. आयकर स्थायी खाता संख्या (फैन कार्ड) एवं श्रम विभाग के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उस के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
  5. पी.एफ./ई.एस.आई./सर्विस टैक्स का पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज़, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (प्रमाणित प्रतियां) उस के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
  6. दरेः— निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अकां एवं शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिये। इसमें कोई त्रुटी एवं ऑवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो रपष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उस पर डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। शब्दों एवं अंकों में अंकित दर में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दर को अधिकृत मान कर गणना में शामिल किया जायेगा।
  7. निविदा में दर अंकित करते समय PF/ ESI/ ST अलग से अंकित की जावे व इनकी राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे ।
  8. निविदा की विधि मान्यता:- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रृटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार समिति को होगा ।
  9. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा ।
  10. निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अद्यधि के लिये विधि मान्य होगी ।
  11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारदान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं रौपेंगा या उप भाउ (सबलैट) पर नहीं देगा ।
  12. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
  13. केयर टेकर का कार्यः— विमंदित महिलाओं एवं बालकों की केयर टेकिंग के कार्य से उनकी समस्त प्रकार की देखभाल अभिप्रेत है यथा – दैनिक दिनचर्या पूरी करवाना, शौच करवाना, स्नान करवाना, वस्त्र पहनाना, चाय-नाश्ता, भोजन करवाना, उनके बिस्तर एवं वस्त्रों की पूर्ण देखभाल करना, बीमार होने पर अस्पताल में दिखाने के लिये नर्सिंग/डॉक्टर, के साथ जाना, अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी अस्पताल में केयरटेकिंग करना एवं अन्य केयरटेकिंग का कार्य जो अधीक्षक द्वारा निर्देशित किये जावे आदि समिलित है ।
  14. उक्त निविदा लगभग 200 मानसिक विमंदित आवासियों की 24 घन्टे देखभाल हेतु जॉब बेसिस पर केयर टेकिंग का कार्य कराने हेतु है। जिसमें लगभग 40 प्रोफाउण्ड श्रेणी के तथा 160 अन्य श्रेणी के मानसिक विमंदित आवासी है। जिनके संख्या में घटत बढ़त होती रहती है। महिला विग के लिये महिलाये तथा पुरुष विंग के लिये पुरुष केयर टेकिंग का कार्य कराना होगा ।

15. राजस्थान मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह संचालन नियम, 2015 के नियम 6 के उपनियम 8 के अनुसार आवासियों की निर्धारित संख्या पर निर्धारित संख्या में केयर टेकर से केयर टेकिंग का कार्य करवाना होगा। उक्त नियमानुसार 5 प्रोफाउण्ड श्रेणी (अतिगम्भीर मानसिक रोगी ) के आवासियों पर न्यूनतम एक प्रति पारी तथा 10 सामान्य मानसिक विमंदितों पर न्यूनतम एक प्रति पारी केयर टेकर का होने का प्रावधान है।
16. केयर टेकर द्वारा केयर टेकिंग का कार्य 24 घन्टे करना होगा। प्रातः दोपहर एवं रात्रि की पारियों में कार्य करना होगा। मानसिक विमंदित महिला एवं याल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर में आवासियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है अतः सख्त्या के अनुसार केयर टेकर्स उपलब्ध कराना अनिवार्य होगे।
17. संस्था में आवासियों की केयर टेकिंग के कार्य में किसी भी दिन अवकाश नहीं होगा। केयर टेकिंग कार्य करने वाले कर्मचारी किसी गंभीर वीमारी रो पीड़ित नहीं हों तथा पूर्ण स्वरूप इस एवं वर्णित कार्य करने में सक्षम हो।
18. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की केयर टेकिंग का कार्य करते समय किसी कारण वश यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है या कार्मिक को किसी भी रूप में शारीरिक क्षति हो जाती है तो उसकी समरत जिम्मेदारी एवं उसके लिये मुआवजा आदि देन का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार स जिम्मेदार नहीं होगा।
19. निविदादाता फर्म ठेके की अवधि में आवश्यकता अनुसार संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है या फर्म/संवेदक इस अवधि में देखभाल का कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर अपने रत्तर पर देखभाल कराने में राशि व्यय की जा सकेगी और वह राशि संवेदक को देय गारिक विल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से राशियोंजित कर ली जायेगी। लाभ की स्थिति में संवेदक का कोई अधिकार नहीं होगा।
20. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की उपस्थिति कार्यालय के प्रभारी के पास उपलब्ध रजिस्टर/यायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करानी होगी। संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व केयर टेकिंग का कार्य करने वाले कार्मिकों के निवास /स्थायी पते का पूर्ण विवरण मध्य फोटो प्रस्तुत करना होगा एवं अपने कार्मिकों को पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। यिन्हा पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। नियुक्त कार्मिकों का पुलिस वैरिफिकेशन करा कर देना होगा। इस के अभाव में भुगतान देय नहीं होगा।
21. केयर टेकिंग का कार्य करने वाले कार्मिकों को आसमानी रंग का एप्रिन पहनाना अनिवार्य होगा। एप्रिन फर्म को उपलब्ध कराना होगा। जिस पर संवेदक फर्म का नाम लिखा होगा।
22. सांतोषजनक कार्य नहीं करने वाले केयर टेकर अधीक्षक के आदेश पर वदलने होंगे। यदि किसी केयर टेकर से लापरवाही होती है तो फर्म संवेदक पूर्ण जिम्मेदार नहीं।
23. उपलब्ध कराये गये केयर टेकर पर प्रशासनिक नियन्त्रण कार्यालय अध्यक्ष/अधीक्षक का होगा।
24. अमानत राशि:- निविदादाताओं द्वारा निविदा के साथ निविदा सूचना में अकित मात्रा अनुसार निर्धारित रूप में अमानत राशि जमा करावाई जायेगी। अमानत राशि के बिना प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदादाता को अनुमानित लागत रु 70,00,000/- का 2 प्रतिशत राशि रु. 1,40,000/-अमानत राशि अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं याल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम देय वैक ड्राफ्ट/वैकर्स चैक निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय तक अधीक्षक गानसिक विमंदित गृह जामडोली जयपुर में जमा करावानी होगी। बिना अमानत राशि जमा कराये निविदा पर चिचार नहीं किया जायेगा। नकद राशि रखीकार नहीं होगी।
25. असफल निविदादाताओं को अमानत राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) लिखित आवेदन पर वापस कर दी जायेगी।
26. अमानत राशि का समपहरण अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा:-
- I. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।
  - II. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
  - III. जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
  - IV. जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

v यदि निविदा प्रस्तुत करने वाला अधिनियम और नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट निविदा प्रस्तुत करने वालों के लिये विहित सत्य निष्ठा की सहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

27. करार एवं प्रतिभूति निष्केप:-

i सफल निविदादाता को कार्य आदेश के प्राप्त हानि की तिथि स 7 दिवस की अवधि के भीतर निधारित प्रारूप में एक करार 5000/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा प्रस्तुत निविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। प्रतिभूति राशि कार्यादेश की तिथि के 7 दिवस के भीतर जमा करा नी होगी।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी अमानत राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में अमानत राशि से कम की नहीं होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर के नाम देय होगी। प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-

(क) वैक ड्रापट / वैकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर वचत वैक पास युक्त जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प वचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय वचत याजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय वचत प्रमाण पत्र, डिफेंस रेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य कोई रिक्प्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरण्डर वेल्य) पर स्वीकार किया जायेगा। यह pledge की हुई होनी चाहिए।

28. प्रतिभूति निष्केप का सम्पर्कः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या अंशिक रूप से निम्नालिखित मामलों में रापहरण कर लिया जायेगा :-

i जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निष्केप को सम्पर्क करने के मामले में युक्त युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संदेश में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

29. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा प्रतिभूति राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शूद्धा प्रतिपड़त गिरुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

30. नोटेदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:-

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्राप्ति प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता इस आशय का प्रमाण पत्र, टेलीफोन नंबर एवं व्यक्तिगत पहचान।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

31. प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जायेगी।

32. भुगतान:- भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जायें, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

33. फर्म / संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी को दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमानुसार करना होगा जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। फर्म को अगले माह का भुगतान, गत माह के भुगतान मध्य पीएफ ईएसआई एवं एस.टी.जमा कराने की रसीद/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। संवेदक

को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का सुनिश्चयन करना होगा। इसके लिये वह व्यक्तिश जिम्मेदार होगा। अतः संवेदक फर्म वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए ही अपनी दरें प्रस्तुत करें।

34. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगे। फर्म को नियमानुसार सर्विस टैक्स स्वयं ही जमा कराना होगा।
35. न्यूनतम मजदूरी / पी.एफ./ई.एस.आई. व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ संवेदक की है तथा संबंधित की कटौती के जमा के चालान की प्रति मार्गे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। भुगतान उपलब्ध कराये गये केयर टेकर की संख्या के अनुसार किया जावेगा।
36. **परिनिर्धारित क्षति:-** निविदा प्रपत्र में आपूर्ति अवधि के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता को आवासियों के केयर टेकिंग के प्रभावी नियमों के अनुसार समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता को आवासियों के केयर टेकिंग का कार्य करवाना होगा। किसी केयर टेकर की आवश्यक संख्या में केयर टेकर से केयर टेकिंग का कार्य करवाना होगा। किसी केयर टेकर की अनुपस्थिति की स्थिति में तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर अधीक्षक अपने स्तर पर निविदादाता की रिस्क एवं कोस्ट पर वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेगी। निर्धारित समय के विलम्ब/अनुपस्थिति पर राशि रूपये 200/-प्रति केयर टेकर प्रति दिन की दर से परिनिर्धारित क्षति देय होगी।
37. **वसूली:-** अधीक्षक/निरीक्षक कमेटी/ उच्चधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर 2000/- की कटौती एक बार में की जावेगी।
38. **अन्य:-** ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने /कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त करली जायेगी।
39. यदि निविदादाता ऐसी शर्त आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्तें को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
40. क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
41. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा एवं मान्य होगा।
42. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
43. निविदा के साथ वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।
44. प्राप्त निविदाए मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, केम्बे गोल्फ होटल के सामने, जामड़ोली, आगरा रोड, जयपुर में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
45. तकनीकी/वित्तीय निविदा अलग-2 फोल्डर में अपलोड की जावें। किसी भी रूप में एक फोल्डर में नहीं होवे।
46. निविदा में निविदा का/ अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नं. तथा इमेल एड्रेस दिया जाना आवश्यक होगा।
47. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपनी सहमति के रूप में डिजिटल सिग्नेचर करने आवश्यक होगे।
48. निविदादाता फर्म का गत एक वर्ष का कार्मिक आपूर्ति का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 3500000/-पैतीस लाख रूपये होना अनिवार्य है। इसके प्रमाण स्वरूप चार्टेंड अकाउन्टेंट द्वारा टर्नओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

49. निविदा की अवधि नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा दिनांक 28.02.2018, जो भी पहले हो तक होगी। उक्त ठेके की अवधि बढ़ाई व कम की जा सकती है ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह के लिये उन्ही शर्तों एवं दरों पर बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। वर्तमान में वित्त विभाग से दिनांक 28.02.2017 तक के लिये उक्त कार्य जॉब वर्क के आधार पर कराने के लिए सहमति प्राप्त है। जिसकी दिनांक 28.02.2018 तक बढ़ने की प्रत्याक्षा है। अतः इसी संभावना में स्वीकृति / सहमति प्राप्त होने पर ही कार्यादेश 01.03.2017 से 28.02.2018 तक कराया जाना प्रस्तावित है।  
भविष्य में वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार ही जॉब वर्क कराया जा सकेगा।
50. संवेदक द्वारा केयर टेकिंग के कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये कार्मिकों द्वारा यदि गृह की सामग्री काम में सिथ जाने पर बसूली योग्य होगी।  
उपरोक्त कार्य संबंधी शर्त, मैंने पढ़ ली है, और स्वीकार किया है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

## निविदादाताओं द्वारा घोषणा

गैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैंने/ हमने जिन मामलों सामानों/ उपकरणों  
/ सेवाओं के लिये निविदा दी है उनका/ उनके/ मैं बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक  
विक्रेता/ सोल वितरक/ प्राधिकृत डीलर/ सोल विक्रय विपणन एजेण्ट/ व्यवसायी हूँ।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है,  
उर्ध्वरूपिता के अन्तर्गत प्रभाव डाले दिना मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समर्पित किया जा  
एवं उसका उथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता

**राजस्थान सरकार**  
**अधीक्षक, मानसिक विंमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह**  
**जामडोली केम्बे के सामने आगरा रोड जयपुर**

क्रमांक

दिनांक

**ई निविदा विवरण**

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विंमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों की निम्न सेवा के लिये ई निविदा आमंत्रित की जाती है।

| क्र. सं. | NIT सं.        | सेवा का विवरण  | अवधि        | अनुमानित लागत | अमानत राशि | ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउन लोड व जमा अपलोड करने की दिनांक           | ऑनलाइन निविदा खोलने की दिनांक                | निविदा प्रपत्र शुल्क |
|----------|----------------|--|-------------|---------------|------------|---|--|----------------------|
| 1        | 7 / 2017<br>18 | लगभग 200 मानसिक विंमदित आवासियों की 24 घण्टे देखभाल हेतु जॉब बेसिस पर केयर टेकिंग का कार्य | 12 माह लगभग | 70,00,000/-   | 1,40,000/- | 20.02.2017 को 3.00 PM तक डाउन लोड एवं 4.00 PM तक अपलोड करने की तिथि | दिनांक 21.02.2017 को 11.00 AM पर खोली जायेगी | 400/-                |

शर्तः— 1. बिड प्रपत्र उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउन लोड एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक अपलोड किये जा सकते हैं।

2. जो निविदाकार इस ई-निविदा (e-TENDER) में भाग लेना चाहते हैं उन्हे सर्वप्रथम वेबसाईट पर <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकरण कराना होगा। उन्हे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Aet 2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट लेना होगा। निविदाकार किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. ( Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन निविदकारों के पास पहले से ही उक्तानुसार वैद्य डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हे पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

3. बिडदाता द्वारा बिड शुल्क, ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क, अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट (पृथक-पृथक) भौतिक रूप से कार्यालय अधीक्षक, मानसिक विंमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली, केम्बे गोल्फ होटल के सामने आगरा रोड जयपुर में निर्धारित तिथि 20.02.2017 को सायंकाल 4:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक होगा अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. बिड शुल्क, ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क, अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैंक भौतिक रूप से इस कार्यालय में निर्धारित समय तक जमा कराने वाले बिडदाताओं की तकनीकी बिड (Technical bid) इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर कार्यालय अधीक्षक, मानसिक विंमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली, केम्बे गोल्फ होटल के सामने आगरा रोड जयपुर में निर्धारित तिथि को उपरिथित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। सफल तकनीकी निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

5. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय की सूचना ईमेल द्वारा दी जायेगी।
6. बिडदाता द्वारा उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास् गृह, जयपुर के नाम दिया जाना होगा।
7. निविदा फार्म शुल्क के अतिरिक्त ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क रूपये 1000/-रु डी.डी. के रूप में M.D.,RISL, jaipur के नाम दिया जाना होगा।
8. कोई भी बिड इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी भी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
9. बिडदाता को बिड प्रपत्र वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में डिजिटल साईन में प्रस्तुत करना होगा, जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर में नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. इलेक्ट्रॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बिड प्रपत्रों में वाचित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गई है, अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. तकनीकी रूप से दस्तावेजों के जांच के उपरान्त फर्मों का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा कराया जा सकता है।
12. किसी भी बिड का स्वीकार करने एवं निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
13. बिड से संबंधित समस्त विवरण राज्य उपापन पोर्टल [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) विभागीय पोर्टल [www.sje.rajasthan.gov.in](http://www.sje.rajasthan.gov.in), एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
14. निविदा प्रपत्र शुल्क, ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क एवं अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक (पृथक-पृथक बने हो) बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि तक का ही मान्य होगा। तथा निर्धारित समय तक पूर्ण रूप में कार्यालय अधीक्षक महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास् गृह जामडोली जयपुर में जमा कराना होगा। अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।

  
 अधीक्षक  
 मानसिक विमंदित महिला एवं  
 बाल कल्याण पुनर्वास् गृह  
 जामडोली जयपुर